



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:- 2023 / 54

दर्ज तिथि:-13.02.2023

1. नानजीराम पुत्र रूडाराम
जाति रबारी निवासी मोटी ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. जोगाराम पुत्र सोनाराम
2. राजूराम पुत्र सोनाराम
जातियान जाट निवासी कड़वासरो की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
3. प्रतापाराम पुत्र रूडाराम
4. वगताराम पुत्र रूडाराम
5. हिमताराम पुत्र रूडाराम
जातियान रबारी निवासी
6. संस्था प्रधान राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोटी ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
7. ग्राम पंचायत गुडामालानी तहसील गुडामालानी
8. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल अप्रार्थीगण

.....तकमील विप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:- श्री रामजीवन विश्नोई

अप्रार्थीगण:- एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128

राजस्थान भू-राजस्व अधि-1956

—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:-06.03.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 राजस्थान भू-राजस्व अधि-1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 1045 / 1 / 0.1214 है0,



1223/3/0.1619 है0 मौजा मोटीढाणी पटवार हल्का गुडामालानी तहसील गुडामालानी में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाशत खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काशत करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाशत में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुडामालानी के यहां प्रार्थना-पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार गुडामालानी के आदेश की पालना में दिनांक 20.11.2024 को पटवारी हल्का द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाइश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढी दिनांक 20.11.2024 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी को पत्र द्वारा बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में पटवारी हल्का ने को मौके पर जाकर निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की।
3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश-06 नियम-17 सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 का पर बहस करते हुए निवेदन किया गया कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 1045/1/0.1214 है0, 1223/3/0.1619 है0, 1223/0.7770 है0 मौजा मोटीढाणी की नेखमबंदी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। परंतु टंकण भूल से खसरा संख्या 1223 का आवेदन पत्र में अंकन नहीं हो सका। अंत में प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 1045/1/0.1214 है0 1223/3/0.1619 है0 मौजा मोटीढाणी के साथ खसरा संख्या 1223/0.7770 है0 को आवेदन पत्र पर उक्त आवेदन पत्र पर सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान कराने की कृपा करावें। उक्त खसरा संख्या 1223 के प्रार्थना-पत्र में सम्मिलित करने से प्रार्थना-पत्र के शीर्षक एवं अनुतोष में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
4. प्रार्थी अधिवक्ता की उक्त बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में खसरा संख्या 1223 में नेखमबंदी के अनुतोष हेतु दस्तावेज संलग्न किये गये थे। परंतु टंकण भूल से खसरा संख्या 1223 का अंकन नहीं हो पाया था। अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 1223 को उक्त प्रार्थना-पत्र में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तत्पश्चात् पत्रावली पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौरान-ए-बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र में

अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 20.11.2024 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

5. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

111. Decision of disputes as to boundaries.—(1) *In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*

(2) *If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

6. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-111 के अनुसार खसरो की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरो की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

128. Boundary disputes. - *All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.

7. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुडामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 20.11.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुडामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु

पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत पत्थरगढी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 1045/1/0.1214 है0, 1223/3/0.1619 है0, 1223/0.7770 है0 मौजा मोटीढाणी तहसील गुडामालानी पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी कर सीमा निर्धारण किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुडामालानी को भिजवाई जावे। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 06.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी (बाड़मेर)

सत्यमेव जयते

गुडामालानी